-1-

189

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

R 4073-I-16

श्रीराम तनय जगदीश यादव
निवासी ग्राम उतावली तह. बिजावर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 317/अ–19/04–05 में पारित आदेश दिनांक 28/1/06 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्र.क्र 33/अ–19/99–00 में पारित आदेश दिनांक 3/3/2000 के द्वारा मौजा लखनगुवां स्थित भूमि खसरा क्र 3174 रकवा 1.614 हेक्टेयर का व्यवस्थावन भूमिस्वामी अधिकारों में दिनांक 3/3/2000 को पारित आदेश अनुसार किया गया था जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता त्रिलोकसिंह एंव राकेशसिंह द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा निगरानी में पंजीबद्व कर अपना विधि विपरीत आदेश निगरानीकर्ता के विरूद्व पारित किया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा भी विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

21 NOV 2016

9425171223
7000853503

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ..R....4073/एक/16..........जिला ....छतरपुर............

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-1-17	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 317/अ–19/वर्ष 04–05 में पारित आदेश दिनांक 28/1/06 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के तर्क में कहा गया कि मौजा लखनगुवां तह. बिजावर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 3174 रकवा 1.614 हे का पट्टा आवेदक को दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक व पिता का कब्जा लगभग 40 वर्ष से चला आ रहा है। आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार बिजावर द्वारा प्रकरण क्र 33/अ–19/99–00 आदेश दिनांक 3/3/2000 को आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित कर भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए जाना का विधिवत् आदेश पारित किया गया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपर कलेक्टर द्वारा मात्र शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर स्वप्रेरणा की कार्यवाही प्रारंभ कर प्रकरण को निगरानी में दर्ज कर विवादित आदेश पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिए गए है। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अपरं आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसे उनके द्वारा प्रारंभिक	

-3-
R 4073-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 17 वर्ष पूर्व किए गए व्यवस्थापन को शून्य किए जाने वावत् स्वप्रेरणा की कार्यवाही की गयी है जबकि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर श्रम, धन व्यय कर उक्त भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा किराजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंडिया एस.एस.सी.44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस. के.गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि म.प्र.राज्य तथा अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रतिपादित किया है। अतएव आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 5— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का कब्जा 2/10/1984 में ना होने के कारण प्रकरण में शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर स्वप्रेरणा में लेकर निगरानी में पंजीबद्व किया गया है। प्रश्नाधीन	

R 4073-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2000 में किया गया है एंव प्रस्तावित कार्यवाही 2003 में की गयी ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। जहां तक प्रश्न अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश का है अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना प्रारंभिक स्तर पर ही अपना आदेश पारित किया है जो कि नैर्सिगिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त अपर कलेक्टर छतरपुर एंव अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 28/1/06 तथा अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/11/04 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिजावर का आदेश दिनांक 3/3/2000 स्थिर रखा जाता परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम यथावत् दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	